उत्तराखण्ड शासन

Department of Elementary Education

Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

Email : Email : deobasicharidwar@gmail.com Phone Number : 01334239159

Fax Number : -

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Haridwar, Uttarakhand
Letter No : Letter No.:Basic/RTE/new/6891/2024-2
5Dated10-03-2025(School code-1432)

Dated : 11-03-2025

To,

The Manager,
Rahamaniya Inter College(R.I.C), SHAHPUR, BHAGWANPUR
Haridwar, Bhagwanpur, BHAGWANPUR, Pin-Code: 247661

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 11-03-2025 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school Rahamaniya Inter College(R.I.C), SHAHPUR, BHAGWANPUR, Haridwar, Bhagwanpur, Pin-Code: 247661.The registration/recognition number of your school is RTE113210 in District Haridwar. This registration/recognition is for the period from 11-03-2025 to 11-03-2030 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future,then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Haridwar
Uttarakhand

परिशिष्ट—दो

प्रपत्र—2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(संशोधन)नियमावली 2013 के नियम —17(क) को देखें

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी—हरिद्वार

पत्रांक मान्यता(जू0) 1039 /2016—17/ दिनांक 05-05-2016

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक /प्रबन्धक
रहमानिया पब्लिक जू0हा0स्कूल (1 से 8)
शाहपुर भगवानपुर विकास खण्ड भगवानपुर
जिला हरिद्वार

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2)के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 17(क)के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण—पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा—पत्र के कम में आपके विद्यालय **रहमानिया पब्लिक जू0हा0स्कूल (1 से 8) शाहपुर भगवानपुर विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार** को अधिनियम की धारा—19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय के मान्यता कोड/पंजीकरण संख्या 480/**PSJ** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम—18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार उत्तराखण्ड

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,

रहमानिया हायर सैकेण्डरी
स्कूल शाहपुर-भगवानपुर हरिद्वार

पत्रांकः मान्यता–20/9/ 1218-23 /2008-09 रामनगर, दिनांक 03 मार्च, 2009

विषयः आपका हाईस्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त/वर्ग~~/विषयों की मान्यता का प्रार्थना पत्र।

महादेय,

शासन से मान्यता समिति के निर्णय एवं सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त शासनादेश संख्या 125/XXIV-4/2009 दिनांक 25 फरवरी, 09 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा 11 /धारा XX के अन्तर्गत आपके विद्यालय को हाईस्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ नवीन/~~अतिरिक्त/वर्ग~~/विषयों में ~~प्रतिबन्धित~~/वित्तविहीन मान्यता दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया है।

परिषद् के पत्रांक 1205-06 दिनांक 27.2.09 के द्वारा सूचना मांगे जाने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 16987-88 दिनांक 2 मार्च, 09 के द्वारा प्राप्त सूचना का परीक्षणोंपरान्त बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष — 2010 की हाईस्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित ~~वर्ग~~/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में ~~वर्ग~~/विषय की नवीन 9 वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज–सज्जा, शिक्षक सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एण्ड आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें इसके लिए संस्था अधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला शिक्षा अधिकारी से 9वीं/~~11वीं~~/ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिए सिंगल सीटेड डेस्ट व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करें।

कृ०प०उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता समिति विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल नवीन	1-हिन्दी 2-अंग्रेजी, संस्कृत 3-विज्ञान 4-सामाजिक विज्ञान 5-गणित/गृह विज्ञान(केवल बालिकाओं के लिए) 6-योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7-कला शिक्षा 8-कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	तृतीय भाषा, पेन्टिंग, वाणिज्य

टिप्पणीः– कक्षा ....9 वीं.......... में प्रवेश हेतु कम से कम .....40........ छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही जिला शिक्षा अधिकारी, कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ०सं० / मान्यता–20 / 9 / /200 8-09 रामनगर, दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी ......हरिद्वार ।..........
(2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल – पौड़ी ।
(3) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) हाईस्कूल.................. परीक्षा / कम्प्यूटर अनुभाग

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

विद्यालय कोड संख्या 154.

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रबंधक,
रहमानिया हायर सेकेन्डरी स्कूल
शाहपुर, भगवानपुर हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता/15577-80 /2008-09 दिनांक 16 मार्च 2009

विषय : कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के पत्रांक मान्यता/20(9)/1218-23/2008-09 दिनांक 03 मार्च 2009 के द्वारा आपके विद्यालय को परिषद की वर्ष 2010 की हाई स्कूल स्तर की मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

उक्त के क्रम में परिषद द्वारा अंकित समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति करने पर आपके विद्यालय को कक्षा 09 संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
16/3/09
श्रीमती चन्द्र कान्ता शर्मा
जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

पृ0सं0 मान्यता/ /2008-09 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर. नैनीताल।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर।

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रहमानिया हायर सेकेण्डरी स्कूल
शाहपुर, भगवानपुर, हरिद्वार।

पत्रांक :— मान्यता—(144)/ 111-116 /2011—12 दिनांक 19.5.2011,

विषय :— इण्टर नवीन मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग की परीक्षा के लिए मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्याः—216/XXIV—4/2010—5(1)/2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4 देहरादून दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा अधिनियम—2006 की धारा—11 (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को इण्टर नवीन **मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग** की वित्त विहीन मान्यता दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया है।

परिषद् के पत्रांक मान्यता / (144) /65—66 / 2011—12 दिनांक 10 मई, 2011 के द्वारा सूचना मांगे जाने के उपरान्त जिला शिक्षा धिकारी हरिद्वार के पत्रांक/मान्यता/माध्यमिक/1855/ 2011—12 दिनांक 16 मई, 2011 के द्वारा प्राप्त सूचना का परीक्षणोपरान्त बालक विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष—2013 की इण्टर नवीन **मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग** की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें इसके लिए संस्था अधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला शिक्षा अधिकारी से 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिए सिंगल सीटेड डेस्ट व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करें।

<u>कृ0 प0 उ0</u>

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता समिति विवरण में यदि कोई सूचना ग़लत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर नवीन मानविकी वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू, इतिहास, राजनीति विज्ञान,समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र,गृह विज्ञान, ड्राईगं एवं पेंन्टिंग ।
विज्ञान वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,जीव विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साइंस।
वाणिज्य वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी,एकाउन्टेन्सी, विजनेस स्टडीज, अर्थ शास्त्र, गणित।

भवदीय,

19.5.11

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0/मान्यता–(144)/ /2011–12 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि –निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
(2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
(3) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) इण्टर परीक्षा अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग, उ0वि0शि0प0 रामनगर।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

विद्यालय कोड – 154

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रहमानिया इण्टर कालेज शाहपुर
विकास खण्ड भगवानपुर,हरिद्वार।

पत्रांक/मान्यता/मा0शि0/ 2268–72 /2010–11 दिनांक 26 मई 2011

विषय–: इण्टर स्तर पर कक्षा 11 संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के पत्रांक:–/मान्यता/144/111–116/2010–11 दिनांक 19–05–2011के अनुसार आपके विद्यालय को शासनादेश संख्या–216/XXIV–4/2010–5(1)/2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 19 अप्रैल 2011 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा–11(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को इण्टर नवीन की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया है। परिषद के पत्रांक–मान्यता/144/65–66/2011–12 दिनांक 10 मई 2011 के द्वारा माँगे जाने के उपरान्त परीक्षणोपरान्त बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2013 की इण्टर नवीन मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया गया है।

अतः परिषद द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में उल्लिखित निम्नांकित सामान्य प्रतिबन्धों एवं विशेष प्रतिबन्धो के अधीन परिषदीय परीक्षा वर्ष 2013 इण्टर वित्त विहीन मान्यता निम्न लिखित विषयों की अनुमति बालक विद्यालय के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के सन्दर्भित पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति पूर्ण कर ली जाय। अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। नियमानुसार एक योग्य प्रधनाचार्य की नियुक्ति की जाय, साथ ही विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय। नवीन कक्षाये संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करें। विद्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं भविष्य में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा। प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वर्ग एवं विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर नवीन मानविकी वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू,इतिहास,राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र,शिक्षाशास्त्र,गृहविज्ञान,ड्राईगं एवं पेंटिग।
विज्ञान वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी,भौ0विज्ञन,रसा0विज्ञान,जीवविज्ञान,गणित, कम्प्यूटर सांइस।
वाणिज्य वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी,एकाउन्टेन्सी,विजनेसस्टडीज,अर्थशास्त्र,गणित

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।

पृ0सं0/मान्यता/ /2010–11 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि–: निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
2– खण्ड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर।
3– अपर शिक्षा निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
4– निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।